आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/26/2/2022 IRDAI/F&A/CIR/MISC/26/2/2022

16 फरवरी 2022 February 16, 2022

परिपत्र / Circular

एफआरबी के सभी सीईओ All CEOs of FRBs

विषयः एक समूह के लिए एक से अधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण करना—

Sub: Holding more than one Certificate of Registration to one group -

आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015

IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015

- 1. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप धारा (9) का खंड (घ) व्यवस्था करती है कि पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई एक "विदेशी कंपनी" भारत में एक शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा का व्यवसाय कर सकती है।
- 1. Clause (d) of sub section (9) of Section 2 of Insurance Act, 1938 provides that a "foreign company" engaged in reinsurance business can transact the business of reinsurance through a branch in India.
- 2. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओँ के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'आवेदक' एक समूह के अंदर आता है, वहाँ उस समूह की कोई भी अन्य संस्था भारत में विदेशी पुनर्बीमा शाखा के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।
- 2. Accordingly, it is clarified that where the 'applicant' as defined under Regulation 2(b) of the IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 falls within a group, no other entity of that group shall be eligible to apply for Certificate of Registration to act as Foreign Reinsurance Branch in India.
- 3. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया जाता है।
- 3. This Circular is issued in accordance with the powers conferred under sub section (1) of section 14 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
- उपर्युक्त अनुदेश इस परिपत्र की तारीख से प्रवृत्त होता है।
- 4. The above instruction comes into force from the date of this Circular.

(एस. एन. राजेस्वरी / S N Rajeswari) (सदस्य – वितरण एवं वित्त का प्रभारी) (Member-Distribution & I/C of Finance)